

[नियम 10]

जिला योजना समिति के सदस्य के लिए निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना (नोटिस)

चूंकि जिला.....में जिला पंचायत और नगरीय निकायों (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार निम्नानुसार निर्धारित कुल संख्या.....में सदस्य/सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है:-

(क) जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र.....से जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या.....

(ख) नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से विभिन्न नगरीय निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या.....प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार निम्नलिखित हैं:-

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम सम्मिलित नगर निकाय का नाम निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या

1-

2-

3-

4-

अतः मैंनिर्वाचन अधिकारी उक्त निर्वाचन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित सार्वजनिक सूचना देता हूँ-

सार्वजनिक सूचना (नोटिस)

(1) नाम-निर्देशन-पत्र अधोहस्ताक्षरी को(स्थान) पर दिनांकसे दिनांककोबजे पूर्वान्ह सेबजे अपरान्ह तक दिये जा सकते हैं।

(2) नाम-निर्देशन -पत्रों की जाँच का काम(स्थान)

पर दिनांककोबजे पूर्वान्ह से प्रारम्भ होगा।

(3) यदि कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह दिनांककोबजे पूर्वान्ह सेबजे अपरान्ह तक स्वयं उपस्थित होकर वापस ले सकता है।

(4) यदि निर्वाचन में मतदान आवश्यक हो तो मतदान(स्थान) पर दिनांककोबजे पूर्वान्ह सेबजे अपरान्ह के बीच होगा।

(5) मतगणना(स्थान) पर दिनांकको मतदान समाप्ति के बाद प्रारम्भ की जायेगी

दिनांक.....

पता.....

नाम-निर्देशन-पत्र के प्रपत्र-2 दिनांकसे दिनांकतकबजे पूर्वान्ह सेबजे अपरान्ह तक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

निर्वाचन अधिकारी(जिऽयो०स०)
का नाम, हस्ताक्षर व मोहर